संभावित हानि को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) हमारे देश में वन्यजीव आवास स्थल, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए वन उत्पादों के अनियंत्रित दोहन के कारण वर्षों से गंभीर रूप से कम होते जा रहे हैं । वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी अभयारण्य में किसी भी प्रकार का दोहन तभी किया जाएगा जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि वह दोहन अभयारण्य में वन्यजीवों के सुधार और उन के बेहतर प्रबंध के लिए किया जा रहा है । इससे अतीत में हुए प्राणिजात और वनस्पति-जात से अति-दोहन के घावों को भरने तथा मृदा और जल संरक्षण जैसी पारि-प्रणाली की जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को पुनः बहाल करने में ही मदद नहीं मिलेगी अपितु आदिवासियों सहित स्थानीय लोगों को भी काफी लाभ प्राप्त होंगे । जहां तक वन उत्पादों पर आदिवासियों और स्थानीय लोगों के अधिकारों का संबंध है । वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब तक उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक उनका वन-उत्पादों पर अधिकार बना रहेगा ।

बेरोजगारी की समस्या को कम करने तथा सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन-उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, जिससे कि वन उत्पादों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर लोगों की निर्भरता को कम किया जा सके और इस प्रकार बिना किसी कष्ट के अधिकारों को कम करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में पारि-विकास" नामक स्कीम शुरू की है। "अक्रमित वनों के पुनरुत्पादन में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करने" के संबंध में एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है । वनोपण और ग्रामीण विकास की अन्य स्कीमों में आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं ।

संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन आदि

2073. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन आदि प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने मामलों में पंद्रह दिनों के भीतर पावती भेज दी गई और कितने मामलों में अन्तिम उत्तर अभी तक नहीं भेजा गया है ;

(ग) पंद्रह दिन के भीतर पावती और तीन महीने के भीतर अन्तिम उत्तर न भेजे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) कितने अधिकारी पावती भेजने में विलम्ब करने और अन्तिम उत्तर न भेजने के दोषी पाये गये हैं ;

(ङ) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1 जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों से 277 पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए थे ।

(ख) उपरोक्त में से 172 मामलों में अन्तिम उत्तर भेज दिये गये और शेष 105 मामलों में अंतिम उत्तर अभी तक नहीं भेजे गए कुछ मामलों में, जिनमें राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से विस्तृत जांच/सलाह अपेक्षित थी, अन्तरिम उत्तर भेज दिये गये हैं ।

(ग) जबकि कुछ मामलों में अन्तरिम उत्तर भेज दिए गए, अन्य मामलों में अन्तरिम उत्तर नहीं भेजा गया क्योंकि उनमें अन्तिम उत्तर शीघ्र भेजे जाने की आशा थी। बहुत कम मामलों में अन्तिम उत्तर तीन माह के भीतर नहीं भेजे जा सके क्योंकि उठाए गए मुद्दे बहुत ही पेचीदा थे और उनमें विस्तृत जांच तथा सलाह अपेक्षित थी।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के संदर्भ में किसी भी अधिकारी को अन्तिम उत्तर और पावती भेजने में देरी करने का दोषी नहीं ठहराया जा सका।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

Funds for Zoological Parks in the country

2074. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the article published in Indian Express dated 28th June, 1992 under caption, "The Zoo story" ;

(b) if so, what is Government's reaction thereto ;

(c) whether Government provide funds to all zoological parks in the country ; and

(d) if so, whether Government monitor the upkeep and maintenance of the parks ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) Government have seen the article.

(b) to (d) Zoological Parks have an important place in the scheme of Wildlife Conservation and creation of public awareness through wildlife education. Central Government is committed to ensuring minimum standards of zoological Parks. A Central Zoo Authority has been set up to oversee the management of a the Zoos in the country. One of the functions of the Authority is to provide assistance to the Zoos for effective ex-situ conservation of endangered species of wild fauna and creation of public awareness and empathy for nature conservation.

गुजरात में वन संरक्षण के लिए क्षेत्र

2075. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वन संरक्षण हेतु किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान-जिलावार कितनी-कितनी भूमि को वन भूमि के अधीन लाया गया है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के लिए जिलावार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसमें कितनी प्रगति की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गुजरात में वन संरक्षण के लिए कोई विशेष स्थान नहीं चुना गया है।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पिछले 3 सालों के दौरान किया गया वनरोपण/वृक्षारोपण इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षेत्र जिसमें पौधरोपण किया गया (है० में)
1989–90	1,94,450.00
1990–91	45,485.00
1991–92	63,480.00